भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3637

10 दिसम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आय को दोगुना करना

3637. श्री सुरेश कश्यपः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

सरकार ने "किसानों की आय को दोगुना करने" से संबंधित मुद्दों की जांच करने तथा इसे प्राप्त करने हेतु कार्यनीतियों की सिफारिश करने के लिए अप्रैल, 2016 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है। समिति ने सितंबर, 2018 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है तथा इसके बाद, इन सिफारिशों के अनुसार प्रगति की निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए 23.01.2019 को एक अधिकारप्राप्त निकाय का गठन किया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की स्कीमों/कार्यक्रमों, जो किसानों की आय की कार्यनीति से भी संबद्ध है, के भाग के रूप में उनके द्वारा किए गए प्रयासों के कारण कृषि क्षेत्र में एक सकारात्मक प्रभाव के बारे में सक्षमता लाने में प्रशंसनीय सुधार हुआ है। पहले से ही शुरू किए गए विभिन्न क्रियाकलाप एवं स्कीमें **अनुबंध** पर दी गई हैं।

लो.स.अता.प्र.सं. 3637

अनुबंध

किसानों के लाभ के लिए शुरू किए गए विभिन्न क्रियाकलापों एवं स्कीमों की सूची

सरकार की कार्यनीति कृषि को व्यवहार्य बनाकर किसानों का कल्याण करने पर केंद्रित है। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की योजनाएं विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से किसानों को सीधे लाभान्वित करने पर केंद्रित है और इसमें निम्नलिखत शामिल हैं:

i. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की अग्रणी योजना का कार्यान्वयन करना ताकि उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

ii. 'प्रति बूंद अधिक फसल" पहल जिसके तहत जल के ईष्टतम उपयोग के लिए तथा इनपुट की लागत को कम करने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

iii. "परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)" जिसके अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

iv. किसानों को इलेक्ट्रॉनिक पारदर्शी व प्रतिस्पर्द्धात्मक ऑनलाइन व्यापार मंच उपलब्ध कराने के लिए ई-नाम की शुरूआत की गई है।

v. जोखिम शमन के लिए फसलों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से खरीफ, 2016 मौसम से फसल बीमा योजना नामत: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की शुरूआत की गई। यह योजना विशिष्ट स्थितियों में फसलोपरांत जोखिमों सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करती है और किसानों को बहुत कम प्रीमियम अंशदान देना पड़ता है।

vi. ''हर मेढ़ पर पेड़'' के अंतर्गत अतिरिक्त आय के लिए कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन होने के साथ ही बांस को वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया है। वर्ष 2018 में पुनर्संरचित राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरूआत की गई है ताकि गैर-वन्य सरकारी एवं साथ ही निजी भूमि पर बांस रोपण को बढ़ावा दिया जा सके और मूल्य संवर्धन, उत्पाद विकास और बाजारों पर बल दिया जा सके।

vii. किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने 2018-19 मौसम से सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की लागत से कम से कम 150 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

viii. किसान अनुकूल कार्यकलापों को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने एक नई केंद्रीय अम्ब्रेला स्कीम "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)" का अनुमोदन किया है। योजना का उद्देश्य केंद्रीय बजट, 2018 में की गई घोषणा के अनुसार किसानों को अपनी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। किसानों की आय को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया यह एक अभूतपूर्व कदम है और यह किसानों के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

ix. मधुमक्खी पालन कार्यक्रम को परागण के माध्यम से फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।

x. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ किसानों को अधिक से अधिक संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार 3.00 लाख रूपए के अल्पावधि फसल ऋण पर किसानों को ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट देती है। इस समय किसानों को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है जो शीघ्र अदायगी पर 4 प्रतिशत कम हो जाता है।

xi. सरकार ने कृषि क्षेत्र की ओर ऋण के प्रवाह के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है, बैंकों की उपलब्धि लगातार वार्षिक लक्ष्य से अधिक रही है। वर्तमान वर्ष का कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 13.50 लाख करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है।

xii. इसके अलावा, ब्याज छूट स्कीम 2018-19 के तहत प्राकृतिक आपदा होने पर किसानों को राहत दिए जाने के लिए पुनर्संरचित राशि पर एक वर्ष के लिए बैंकों को ब्याज पर 2 प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था जारी रहेगी। किसानों द्वारा अपने उत्पादों को मजबूरी में बेचने से रोकने और परक्राम्य रसीदों पर गोदामों में अपने उत्पादों को भंडारित करने संबंधी बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ किसान क्रेडिट कार्ड धारक छोटे एवं सीमांत किसानों को अगले 6 माह की अवधि हेतु इसी दर पर फसलोपरांत ऋण उपलब्ध होंगे।

xiii. सरकार ने पशुपालन और मात्स्यिकी से संबंधित कार्यकलाप करने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का अनुमोदन किया है और ऐसी श्रेणियों के किसानों को भी ब्याज छूट सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

xiv. देश भर के सभी किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना यथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) शुरू की है ताकि उन्हें अपनी घरेलू जरूरतों के साथ-साथ कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना का लक्ष्य उच्च आय वर्ग से संबंधित कतिपय अपवर्जनों के अध्यधीन, किसानों को चार माह के अंतराल पर 2000 रुपये की तीन किस्तों में 6,000 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान करना है।

xv. सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ इन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए एक अन्य नई केन्द्रीय अम्ब्रेला योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है क्योंकि उनके पास ऐसी कोई बचत नहीं होती है कि वे अपनी आजीविका का साधन समाप्त होने पर वृद्धावस्था में अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। इस स्कीम के तहत, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र लघु और सीमांत किसानों को प्रति माह न्यूनतम 3000/- रूपए की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

******